संख्या 8843 अ.स.कै.सि. / 200
दिनांक 3/X / 2005

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या:– 2148 /xxxii(2)/2005

संख्या 8350/मा०वि०शि०/सू०/2005

अ० स० (मा/बे)

अ० स० सूचना

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
(2)समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तरांचल शासन।
(3)समस्त विभागध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
(4)मण्डलायुक्त,
कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

3/10
(डी० के० कोटिया)
सचिव
विद्यालयी शिक्षा एवं सूचना
उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 30 सितम्बर 2005

विषयः– लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के पत्र संख्या–1244/ तीस/2/2004, दिनांक 27 सितम्बर 2004 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपने कर्तव्य की परिधि से बाहर जाकर (Beyond the of duty)उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी सेवकों को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए ऐसे कार्मिकों जिन्होनें उत्कृष्ट कार्य किया हो, के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति साईटेशन सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए मानक / प्रतिमान भी इंगित किये गये थे। उक्त पत्र के क्रम में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए उनमें नैत्यिक प्रकृति के कार्यों का ही उल्लेख किया गया जबकि ऐसे मामलों का उल्लेख किया जाना आवश्यक था जिससे अपने प्रतिदिन के कार्य के साथ–साथ कोई विशिष्ट प्रकृति का ऐसा कार्य परिलक्षित होता हो या शासकीय कार्यों के संचालन में कोई ऐसा नवीन तरीका अपनाया गया हो [illegible] सरकार का [illegible]

2– [illegible] प्रस्ताव भेजने हेतु अपने स्तर पर एक समिति का गठन करने का कष्ट करें और समिति द्वारा कार्मिकों द्वारा किये कार्यों के मानक / प्रतिमान निर्धारित करते हुए विशिष्टता की स्थिति में ऐसे कार्मिकों का चयन किया जाय जो कि स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किये जाने योग्य हों। समिति द्वारा विचार करने के उपरान्त ऐसे कार्मिकों की संस्तुतियां साईटेशन सहित कार्मिक विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिलाधिकारी सभी संस्तुतियां मण्डलायुक्त के माध्यम से प्रेषित करेंगे तथा विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव के माध्यम से प्रेषित करेंगे। मण्डलायुक्त व सम्बन्धित प्रमुख सचिव / सचिव प्रत्येक दशा में **दिनांक 20–10–2005** तक अपनी अभ्युक्ति सहित कार्मिक विभाग को नामांकन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3/10
कुमार
सचिव
विभाग
उत्तरांचल शासन

भवदीय,

लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में उत्कृष्ट कार्य के लिये राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किये जाने हेतु सूचना का प्रारूप

1. विभाग / कार्यालय का नाम–
2. संस्तुत अधिकारी / कर्मचारी का नाम–
3. पदनाम–
4. वेतनमान–
5. विशिष्ट कार्य का विवरण–
6. समिति की संस्तुति–